202

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1840–दो/2005 – विरूद्व आदेश दिनांक 09–06–2005 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 146/1995–96 अपील

कन्हई सिंह मृत वारिस
1– श्रीमती रामवेटी पत्नि स्व.कन्हई
2– श्रीमती अयोध्यावाई पत्नि नबाव सिंह
3– भॅवर सिंह पुत्र स्व. कन्हई
4– नरेन्द्र सिंह नावालिकपुत्र नबाव सिंह
5– इन्दर सिंह नावालिकपुत्र नवाव सिंह
सदपरस्त माता रामवेटी पत्नि स्व.कन्हई
सभी निवासी ग्राम करके का पुरा
तहसील मेहगॉव जिला भिण्ड ———आवेदकगण

विरूद्व

1– उदय सिंह पुत्र फौजदार सिंह
2– महिला पॉचो पत्नि केवल
3– चिन्ता पुत्र गोपी
4– विजय सिंह पुत्र रामकिशन
5– लाल सिंह मृतक पुत्र कुन्दन सिंह
6– प्रभदयाल पुत्र कुन्दन सिंह
7– रामसिंह पुत्र विहारी
8– रामसिंह पुत्र विहारी
9– बीरपाल पुत्र विहारी
10–रघुनाथ पुत्र भीमसेन
11– जबर सिंह पुत्र भीमसेन
12–सरनाम पुत्र भीमसेन
13–ज्ञान सिंह पुत्र गोपी सिंह
सभी ग्राम करके का पुरा तहसील मेहगांव जिला भिण्ड ———अनावेदकगण

कृ0पृ0उ0————2

(आवेदकगण की ओर से श्री एस0के0अवस्थी अभिभाषक)

(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 17 – 11 – 2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 146/1995–96 अपील में पारित आदेश दिनांक 09 जून , 2005 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि महिला पॉचों पत्नि स्वर्गीय केवल सिंह ने ग्राम करके पुरा मौजा गोअरा के खाता कमांक 56, 5र7, 144, 146 एंव 167 पर धारित भूमि के बटवारा हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर से नायव तहसीलदार वृत्त अमायन ने प्रकरण कमांक 11/1990–91 अ–27 पंजीबद्व किया तथा जांच एंव सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 30–10–92 पारित करके बटवारा कर दिया। इस आदेश के विरूद्व स्व. कन्हई सिंह ने अपने जीवनकाल में अनुविभागीय अधिकारी मेहगॉव के समक्ष अपील कमांक 36/1994–95 प्रस्तुत की, जिसमें अनावेदकगण व्दारा प्रस्तुत व्यवहार प्रकिया संहिता 11 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार करते हुये अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 31–5–1996 से अपील इस आधार पर निरस्त कर दी, कि प्रकरण में रेस्ज्यूडिकेटा लागू है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष द्वित्तीय अपील प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना ने प्रकरण कमांक 146/1995–96 अपील में पारित आदेश दिनांक 9 जून 2005 से अपील निरस्त कर दी एंव नायव तहसीलदार वृत्त अमायन व्दारा प्रकरण कमांक 11/1990–91 अ–27 में पारित आदेश दिनांक 30–10–92 तथा अनुविभागीय अधिकारी मेहगॉव व्दारा अपील कमांक 36/1994–95 में पारित आदेश दिनांक31–5–1996 स्थिर रखे। अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण को बार–बार सूचना पत्र भेजे जाने तथा सम्यक सूचना के निर्वहन की जानकारी के अभाव में पंजीकृत डाक से भी सूचना भेजी गई, किन्तु वह अनुपस्थित रहे हैं।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा तर्को में बताया गया कि तहसील न्यायालय व्दारा बटवारा करते समय उसे सूचना नहीं दी एंव फर्दे कब तैयार की गई, पटवारी ने नहीं बताया। समस्त कार्यवाही एकपक्षीय करके बटवारा कर दिया गया जिससे आवेदक को कम उपजाउ भूमि मिली है। इस प्रकार एकपक्षीय बटवारा निरस्त करके सभी पक्षकारों की उपस्थिति में तथा सभी परिजनों की रजामन्दी से बटवारा किया जाना चाहिये। उन्होंने निगरानी स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने एंव पुनः बटवारा कार्यवाही के निर्देश देने की मांग की।

5/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि महिला पॉचों पत्नि स्वर्गीय केवल सिंह के आवेदन पर नायव तहसीलदार वृत्त अमायन ने प्रकरण कमांक 11/1990–91 अ–27 पंजीबद्व किया है जिसमें आवेदक महिला पॉचों ने सभी सहखातेदारों को पक्षकार बनाया है। तद्नुसार नायव तहसीलदार ने पटवारी से फर्द तैयार करवाई है जिसका प्रकाश तामील कुनिन्दा के माध्यम से कराया गया है और तामील कुनिन्दा की तामीली टीप के अनुसार उसके व्दारा केवल सिंह को एंव अन्य सहखातेदारों को सूचना देना चाही, तब कुछ पक्षकार बिना तामील किये खेतों पर चले गये एंव कुछ पक्षकार घर में दुबक गये। इस सम्बन्ध में विद्वान अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 9–6–05 के पद तीन में विस्तृत विवेचना कर निष्कर्ष दिया है जिससे असहमत होने की गुॅजायश नहीं है। नायव तहसीलदार व्दारा बटवारा कार्यवाही करने के पूर्व समस्त पक्षकारों को व्यक्तिशः सूचना जारी की है जिसके कारण नायव तहसीलदार व्दारा आदेश दिनांक 30–10–92 से की गई बटवारा कार्यवाही में किसी प्रकार की कमवेशी नहीं है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी मेहगॉव व्दारा अपील कमांक 36/1994–95 में पारित आदेश दिनांक 31.5.96

में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी मेहगॉव व्दारा प्रकरण कमांक 36/1994–95 अपील में पारित आदेश दिनांक 31–5–1996 उचित पाये जाने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर